

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/200546/LLP/LALITPUR/482/CF0

दिनांक : 26-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **M.A.P.S. INTERNATIONAL SCHOOL BY KAPIL KUMAR AGRAWAL,RENUKA,GARIMA AGRAWAL** पता **689 5 , 690 4 , 690 7,VILLAGE KAKARUWA,LALITPUR** तहसील - **LALITPUR** प्लॉट एरिया **42491.99 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4701.68** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
M A P S INTERNATIONAL SCHOOL	2	0	8 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **M.A.P.S. INTERNATIONAL SCHOOL BY KAPIL KUMAR AGRAWAL,RENUKA,GARIMA AGRAWAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **26-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAPIL KUMAR AGRAWAL,RENUKA,GARIMA AGRAWAL** **kkag32@gmail.com 9838522762** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-05-2026** से **25-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **M.A.P.S. INTERNATIONAL SCHOOL BY KAPIL KUMAR AGRAWAL,RENUKA,GARIMA AGRAWAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **M.A.P.S. INTERNATIONAL SCHOOL BY KAPIL KUMAR AGRAWAL,RENUKA,GARIMA AGRAWAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वधीन नियमावली-2024, एनबीसी-2016 के अनुसार यह एनओसी निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है। 1-भवन स्वामी/अधिभोगी अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग को प्रेषित करेंगे। 2-फायर उपकरणों की वार्षिक ए.एम.सी./मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जायेगी। 3-विद्युत विभाग का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता, सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगी। 5-यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है या अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील दशा में पायी जाती है तो यह एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त समझी जायेगी।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Tabarak Hussain

32A9B8B5C6943F6111213E8D4B1931B89AB005DB

26-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-05-2026

स्थान : LALITPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.